सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,
जनपद झाँसी।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थीगण ने जरिये पंजीकृत बैनामा अपनी भूमि स्थित मौजा झाँसी सिविल तह0 व जिला झाँसी को एक विक्रेता श्रीमती फ्रेनी फिरोज वॉयस पत्नी पी0ई0 वॉयस निवासी–एडलजी वायस कम्पाउण्ड, झाँसी से क्रय की थी।

श्रीमती फ्रेनी फिरोज वॉयस को उक्त भूमि बतौर विधिक वारिस उनके पति श्री पी0ई0 वॉयस से प्राप्त हुई थी, जिसके पूर्व उक्त भूमि के मालिक पी0ई0वॉयस के पूर्वज रहे, जो कि उन्हें वर्ष 1886 में जमींदार श्री हरलाल बोहरे द्वारा धनराशि लेकर विक्रय कर कब्जा दे दिया था और उनके द्वारा मौके पर अपना निजी निवास व कारोबार के लिए एक बड़ी इमारत, बंगला, सर्वेंट क्वार्टर इत्यादि निर्मित कराये गये थे, और तभी से मौके पर कृषि कार्य भी बन्द हो गया था। वह अपने जीवनकाल में लगातार अपने शान्तिपूर्ण कब्जे व निस्तार में बने रहे जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई मतलब व सरोकार नहीं रहा।

विगत् व माह मार्च 2026 में एक शख्स राघवेन्द्र पालीवाल पुत्र सत्यप्रकाश निवासी– सड़िया रोड, पिपरिया नर्मदापुरम (म0प्र0) अपने साथ दो अन्य व्यक्ति कुलविन्दर छतपाल पुत्र अज्ञात निवासी–पंजाबी कॉलोनी, झोकनबाग, झाँसी व मनोज कुमार पुत्र कृष्णकुमार निवासी–डरू भौंडेला, झाँसी व 1 अज्ञात व्यक्ति को लेकर प्रार्थीगण की जमीन पर आया और प्रार्थीगण की लेवर को धमकाते हुए कहने लगा कि यहाँ कोई काम नहीं हो सकता है। यह जमीन मेरी है, और विवादित है। प्रार्थीगणों को जानकारी मिलने पर प्रार्थीगण मौके पर पहुँचे तो वह धमकाते हुए कहने लगे कि तुम लोगों को यदि काम करना है तो हमें 05 करोड़ रूपये देने होगें, नहीं तो तुम्हें व तुम्हारे लोगों को काम नहीं करने दिया जायेगा। प्रार्थीगण के तमाम समझाने के बावजूद वह नहीं माने और झगड़ा करने को अमादा हो गये और जब प्रार्थी ने मौके पर पुलिस बुलाने का प्रयास किया तो वह वहाँ से भाग गये।

प्रार्थीगण द्वारा क्रय की गई जमीन राजस्व अभिलेखों में दर्ज गाटा संख्या–294 व 287 मौजा झाँसी सिविल तह0 व जिला झाँसी का जुज भाग है। जिसका

स्वामित्व श्रीमती फ्रेनी फिरोज वॉयस के पास होने की पुष्टि सक्षम सिविल न्यायालय झॉसी द्वारा सिविल अपील सं0–46/2015 पी0ई0 वॉयस बनाम् श्रीमती लीलाबाई आदि में पारित हुए निर्णय दिनांक 05.04.2022 को गुण–दोष के आधार पर किया जा चुका हैं। जिसमें यह स्पष्ट तौर पर न्यायालय ने अपना मत दिया था कि राघवेन्द्र पालीवाल को उक्त जमीन से कोई मतलब व सरोकार नहीं है व उपरोक्त जमीन की मालिक काबिज श्रीमती फ्रेनी फिरोज वॉयस है **(संलग्नक–1)** जिसके विरूद्ध राघवेन्द्र पालीवाल ने एक अपील माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जो कि राघवेन्द्र पालीवाल द्वारा अपना एक शपथपत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर पेश करके वापिस भी ले ली **(संलग्नक–2 व 3)**। जिसके अनुसार कानूनी तौर पर श्रीमती फ्रेनी फिरोज वॉयस के हक व अधिकार अन्तिम रूप से तय हो चुके है, जिसमें कोई विवाद शेष नहीं रहा है।

उक्त राघवेन्द्र पालीवाल द्वारा प्रार्थीगणों के विरूद्ध एक झूठी शिकायत आई0 जी0 पुलिस महोदय को की थी, जिसकी जॉच में भी राघवेन्द्र पालीवाल के आरोपों को झूठा पाया गया था और कानूनी तौर पर प्रार्थीगण का स्वामित्व व मौके पर कब्जा होना भी पाया गया था **(संलग्नक–4)** साथ ही साथ श्रीमती फ्रेनी फिरोज वॉयस ने राघवेन्द्र पालीवाल के जमीन में अधिकारों को लेकर एक शिकायत श्रीमान मण्डलायुक्त महोदय, झॉसी मण्डल झॉसी को की थी। जिसमें हुई विस्तृत जॉच में राघवेन्द्र पालीवाल को जमीन में कोई हकूक नहीं पाया गया है **(संलग्नक–5)**। इस प्रकार उक्त व्यक्ति राघवेन्द्र पालीवाल व उसके साथी कुलविन्दर छतपाल और मनोज कुमार गैर कानूनी तरीके से प्रार्थीगण को लगातार तंग करने का अमादा हैं और लगातार झूठी शिकायतें करके प्रार्थीगण को तंग व परेशान कर रहे हैं, और प्रार्थीगण से 5 करोड़ रूपयों की मॉग कर रहे हैं, जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान हैं।

उक्त राघवेन्द्र पालीवाल एक शातिर व अपराधिक, भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है, जानबूझकर प्रार्थीगणों को ब्लैकमेल कर रहा है, जबकि अन्य सिविल के मुकदमों में भी वह स्वयं स्वीकार कर चुका है कि उसका आराजी सं0–287, 294 स्थित मौजा झॉसी सिविल के किसी भी हिस्से पर कोई हक व अधिकार नहीं है **(संलग्नक 6 व**

7)। उपरोक्त राघवेन्द्र पालीवाल पर धोखाधड़ी व कूटरचना के कई गम्भीर आपराधिक मुकदमे जिसमें निजी व्यक्ति की जमीनें एवं सरकारी जमीनों को कूटरचना कर जालसाजी से बेचने के दर्ज है, जो कि निम्न है :-

1. मुकदमा अपराध सं0-846/2016 अंतर्गत धारा 506, 504, 471, 468, 467 थाना नवाबाद, झाँसी (संलग्नक-8)।
2. मुकदमा अपराध सं0-721/2017 अंतर्गत धारा 471, 468, 467, 420 IPC थाना नवाबाद, झाँसी (संलग्नक-9)।
3. मुकदमा अपराध सं0-4/2020 अंतर्गत धारा 506, 504, 447 IPC थाना नवाबाद, झाँसी (संलग्नक-10)।
4. मुकदमा अपराध सं0-193/2024 अंतर्गत धारा 420, 468, 471 IPC थाना नवाबाद, झाँसी (संलग्नक-11)।
5. मुकदमा अपराध सं0-201/2024 अंतर्गत धारा 506, 504, 406, 420 IPC थाना नवाबाद, झाँसी (संलग्नक-12)।

प्रार्थीगण शान्तिप्रिय कानून में आस्था रखने वाले व्यक्ति है, लेकिन उक्त भूमाफियाओं के कारण काफी परेशान है। उक्त शख्स ऐन-केन प्रकारेण प्रार्थी की कीमती जमीन को गैर कानूनी तरीके से हड़पने को अमादा हैं और बिना किसी हक व अधिकार के प्रार्थीगणों की कीमती भूमि पर अपना स्वामित्व जाहिर कर रहे हैं।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उक्त राघवेन्द्र पालीवाल, कुलविन्दर छतपाल व मनोज कुमार एवं इनके साथियों पर उचित कानूनी कार्यवाही कर प्रार्थीगणों की जान-माल की सुरक्षा करने की कृपा करें। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

दिनांक- 18/06/2026

प्रार्थीगण

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

Sanjay Rai S/o late Shri Ramsharan Rai, Station Road, Jhansi, 9415031360

Amit Singh S/o late Shri Chandra Shekhar Singh, 33 Prem path cantt. Sadar Bazaar Jhansi, 7379299999

Ashutosh Rai S/o late Shri Rajesh Rai 569, Rai Colony civil lines Jhansi 9235783992